न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 05 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.आम्बसिंह पुत्र स्व. रतनसिंह स्व. महासिंह पुत्र पुत्र रतनसिंह का. मु.
2.नखतसिंह पुत्र महासिंह स्व. बैरिसालसिंह पुत्र रतनसिंह का. मु.
3.गोपालसिंह पुत्र स्व. बेरिसालसिंह
4.दानसिंह पुत्र स्व. बेरिसालसिंह
5.पदमसिंह पुत्र स्व. बेरिसालसिंह सर्वे जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम भीमसर तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 12/2015 बअनवान आम्बसिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री सवाईसिंह देवड़ा रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 28.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसमें वादीगण की कृषि भूमि मौजा मूलाना में समरी बंदोस्त के दौरान इस भूमि के खसरा संख्या 33 रकबा 34.10 बीघा खेत खेड़ा वाला व खसरा संख्या 33/1 रकबा 230 बीघा खेत बांकिया वाला समस्त रकबा 264.10 बीघा कायम होकर पर्चा लगान वादीगण के पिता रतनसिंह पुत्र सुरतानसिंह के नाम जारी हुआ। वर्तमान भू बंदोबस्त के दौरान वादीगण के पिता ने उपरोक्त दोनो खेतो की बंदोबस्त कर्मचारियो के साथ रहकर पैमाईश करवाई परन्तु मौजूदा बंदोबस्त का जो खातेदारी रेकर्ड संधारण हुआ उसमें समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 1040 व 1213 रकबा 189.19 बीघा वादीगण के पिता स्व. रतनसिंह के नाम दर्ज किया तथा समरी बंदोबस्त के इस खसरा संख्या 33/1 का अंतर का रकबा पड़ौसी खसरा संख्या 1047 व 1048 में मिलाकर बिला कब्जा सरकार दर्ज कर दिया गया जिसका दावा वादीगण/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। वादग्रस्त भूमि को वादीगण ने पिडियाती, पुश्तैनी बताकर कब्जा काश्त की बताया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण को वादग्रस्त भूमि पर खातेदार घोषित किया गया। जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 18.02.2016 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की पीढीयाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम मूलाना में आयी हुई है, कृषि भूमि मौजा मूलाना में समरी बंदोस्त के दौरान इस भूमि के खसरा संख्या 33 रकबा 34.10 बीघा खेत खेड़ा वाला व खसरा संख्या 33/1 रकबा 230 बीघा खेत बांकिया वाला समस्त रकबा 264.10 बीघा कायम होकर पर्चा लगान वादीगण के पिता रतनसिंह पुत्र सुरतानसिंह के नाम जारी हुआ। वर्तमान भू बंदोबस्त के दौरान वादीगण के पिता ने उपरोक्त दोनो खेतो की बंदोबस्त कर्मचारियो के साथ रहकर पैमाईश करवाई परन्तु मौजूदा बंदोबस्त का जो खातेदारी रेकर्ड संधारण हुआ उसमें समरी बंदोबस्त के खसरा संख्या 1040 व 1213 रकबा 189.19 बीघा वादीगण के पिता स्व. रतनसिंह के नाम दर्ज किया तथा समरी बंदोबस्त के इस खसरा संख्या 33/1 का अंतर का रकबा पड़ौसी खसरा संख्या 1047 व 1048 में मिलाकर बिला कब्जा सरकार दर्ज कर दिया गया जबकि दौराने पैमाईश भू–प्रबन्ध हाल खसरा संख्या 1047 रकबा 08.07 बीघा, खसरा संख्या 1048 रकबा 66.04 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 74.11 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया जो वर्तमान वादीगण की खातेदारी भूमि के खसरों से लगते हुए है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मौके पर रेस्पोडेंटगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैसलमेर में समरी बन्दोबस्त से पहले कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ था। समरी बन्दोबस्त के बाद संवत 2021–22 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश की गयी। भू–प्रबंध विभाग के सहायक सैटलमेंट ऑफिसर द्वारा उक्त इन्द्राजत बिना किसी आधार के उक्त खसरान का पर्चा लगान व पास बुक न देकर गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया। वादग्रस्त आराजी पर समरी बन्दोबश्त व सैटलमेंट के अनुसार मेरा काबिज काश्त चला आ रहा हैं। रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य कही भी खंडित नहीं हुई है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी उक्त भूमि रेस्पोडेंट की पीढीयाती कृषि भूमि होना पूर्ण रूप से साबित है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि राजकीय भूमि हो और रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में न हो। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी हैं जिस पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं जो स्वयं पटवारी हल्का के कथन से भी यह साबित है। लेकिन सेटलमेंट वालो ने गलत मनमाने व बदयन्ती पूर्वक तरीके से वादग्रस्त भूमि रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी। जिसका भू–प्रबंध विभाग को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का ही अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या उसे विलोपित करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार फतेहगढ़ ने सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के निर्णय दिनांक 18.02.2016 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील करीब 2 वर्ष 02 माह बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 18.02.2016 से रही हैं। अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम के सुस्थापित सिद्धान्त विलम्ब संतोषजनक ढंग से नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सद्भावी आधार नहीं होने से अपील पेश करने में सुदीर्घ विलंब हुआ है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य EXP-1 तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम मूलाना जिसमें वादीगण के नाम दर्ज खसरा संख्या 33, 33/1 कुल रकबा 264.10 बीघा दर्ज था जो स्थाई सैलमेंट में वादीगण के नाम 189.19 बीघा खातेदारी में दर्ज की गई तथा शेष रकबा 74.11 बीघा की कमी की गई लेकिन कमी का इंद्राज नहीं किया गया। (प्रदर्श 2) पर्चा खतौनी ग्राम मूलाना जिसमे वादीगण द्वारा समरी खसरा संख्या 33, 33/1 की किस्त वसूली रकम अदा की गई है जो सहायक सैटलमेंट ऑफीसर से प्रमाणित है। वादीगण की यह भूमि इससे पूर्व भी (प्रदर्श 3) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2016 से संवत 2020, (प्रदर्श 4) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2021 से संवत 2024, (प्रदर्श 5) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2025 से संवत 2028, (प्रदर्श 6) जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2029 से संवत 2032 में लगातार समरी खसरा संख्या 33, 33/1 में कुल रकबा 264.10 बीघा रतनसिंह पुत्र सुरतानसिंह कौम राजपूत साकिन दैह खातेदार दर्ज रहा है। (प्रदर्श 7), (प्रदर्श 8), (प्रदर्श 9), (प्रदर्श 10) नकल गिरदावरी ग्राम मूलाना क्रमशः संवत 2016 से संवत 2020, संवत 2021 से 2024, संवत 2025 से संवत 2028, संवत 2029 से 2032 में लगातार काश्त साबित है। (प्रदर्श 13) नकल नक्शा(लट्ठा ट्रैस) साबित करता है कि वादग्रस्त आराजी वक्त समरी सेंटलमेंट खसरा संख्या 33, 33/1 से बने वर्तमान खसरा संख्या 1040 समीपस्थ (Adjoining) है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। (प्रदर्श 16) भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जिसमें वादी आम्बसिंह पुत्र रतनसिंह, नखतसिंह पुत्र महासिंह का खसरा संख्या 1046/1309 व 1048 में रकबा 12 व 08 बीघा कुल रकबा 20 बीघा पर अतिचार दर्ज किया गया तथा (प्रदर्श 17) भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जिसमें वादी आम्बसिंह पुत्र रतनसिंह, नखतसिंह पुत्र महासिंह का खसरा संख्या 1047 व 1048 में रकबा 12 व 08 बीघा कुल रकबा 20 बीघा पर अतिचार दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चार तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रतिवादी द्वारा एक भी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध निर्णित की गई। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें यह साबित होता हो कि वादीगण/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव में समरी सेटलमेंट की प्रविष्टि को हूबहू दोहराना चाहिए था। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ–पत्र एवं वादीगण के गवाह खेताराम पुत्र श्री चिमाराम उम्र 76साल ने अपने शपथ पूर्वक कथन करता हू बताया कि वादीगण संख्या 01 आबसिंह के पिता स्व. रतनसिंह वल्द सुरतानसिंह के नाम से समरी कब्जे काश्त का खातेदारी खेत समरी खसरा संख्या 33 व 33/1 कुल रकबा 264.10 बीघा यानि 45–46 हल साठीकड़ का खेत खेड़ा वाला व बांकियों वाला मौजा मूलाना में आयी हुई है। जिस पर मैं उनको वक्ज समरी से इस रकबा 45–46 हल साठीकड़ की भूमि पर बहैसियत खातेदार मेरी समझ से देखता आ रहा हूँ। वादीगण के पिता व वादीगण इस रकबा 46 हल साठीकड़ की भूमि पर स्थाई बंदोबस्त लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा अन्य गवाहन के बयाद वाद–पत्र के समर्थन में है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह सुगनसिंह पटवारी मूलाना ने अपने बयान में दिनांक 30.10.2014 को यह स्वीकार किया गया है कि संवत 2071 में प्रार्थी आंबसिंह पुत्र रतनसिंह, नखतसिंह पुत्र महासिंह का खसरा संख्या 1048 व 1046/1309 रकबा क्रमशः 08, 12 बीघा पर अतिक्रमण दर्ज है। इससे पूर्व यदि वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण यदि दर्ज है तो मेरे पास कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1040 के लगती आई हुई है। यह बात सही है। वादग्रस्त भूमि वक्त समरी में वादीगण के वालिदान के नाम दर्ज रही है तो मुझे पता नहीं है। इससे साबित है कि वादीगण का उक्त खसरों में बतौर अतिक्रमी समय–समय पर काश्त की जाती रही है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादीगण के पिता की खातेदारी भूमि काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदारी में कमी कर सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है।

इस अवधाराणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

1- Tarsingh & Ors V/s Khet Singh & Ors 2003 RRD Page No. 298

"भू प्रबन्ध विभाग को सैटलमेंट के दौरान मात्र पुरानी प्रविष्ठियों को दोहराने का ही अधिकार हैं न कि उन्हें परिवर्तित किये जाने का। यदि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो वो उक्त आधार पर कर सकेगा अन्यथा नहीं। सहायक भू प्रबंधक अधिकारी को न तो किसी के कब्जे काश्त की व खुद काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का अधिकार हैं और न ही गोचर।

2. RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिधारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित होता है कि वादी/रेस्पोडेंटगण का ग्राम मूलाना में समरी खसरा में खातेदार रूप में इन्द्राज था परन्तु वक्त सेटलमेंट उसकी प्रविष्टि बिना किसी कारण विलोपित कर दी गई। इसके बाद भी उसका उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर दावाकृत राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त होता रहा। इससे वादीगण अपनी समरी बंदोबस्त में दर्ज 74.11 बीघा खातेदारी भूमि को पाने का अधिकारी ठहरता है। इसी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट करते हुए उसे वादग्रस्त राजकीय सिवायचक भूमि में से उसकी वक्त समरी सेटलमेंट में खातेदार रूप में दर्ज भूमि रकबा 74.11 बीघा पर खातेदारी घोषणा की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 12/2015 बअनवान आम्बसिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

28/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner